आख्या संख्याः 43/ जि0–उ0(दैवीय आपदा)–पुनर्वास/2013–14

श्री राय सिंह पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम चिंणाखोली पट्टी बरशाली, तहसील डुण्ड़ा, जनपद उत्तरकाशी में परिवार हेतु प्रीफैब्रीकेट आवासीय भवन के निर्माण हेतु पुनः प्रस्तावित स्थल की टोही भूगर्भीय निरीक्षण *(Reconnaissance)* आख्या।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी द्वारा तहसीलदार डुण्ड़ा/चिन्यालीसौंड/पुरोला को सम्बोधित एवं भूवैज्ञानिक, जिला टॉस्क फोर्स, उत्तरकाशी को पृष्ठांकित कार्यालय पत्र संख्या 1149/तेरह–31 (2012–13) दिनांक 02 नवम्बर 2013 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के कार्यालय आदेश सं0 1051/स्था0/का0आ0/2012–13 दिनांक 15 दिसम्बर 2012 तथा 01 अप्रैल 2013 के अनुपालन के क्रम में दिनांक 03 दिसम्बर 2013 को ग्राम चिंणाखोली का स्थलीय भूगर्भीय निरीक्षण श्री उदय सिंह पंवार, राजस्व उपनिरीक्षक (मो0 नं. 7500315785) तथा श्री सुखवीर सिंह चौहान (मो.नं. –9411199755) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

प्रस्तावित पुनर्वास प्रस्तावित भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग–108 में जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी से धरासू की ओर लगभग 10 किमी0 दूरी के उपरान्त गेंवला–बोन– चिंणाखोली हल्के वाहन मार्ग (LVR) पर लगभग 3.5 किमी0 की दूरी के उपरान्त मूल ग्राम के पैदल मार्ग पर लगभग 300मी0 की दूरी पर स्थित है। राजस्व अभिलेखानुसार भूखण्ड़ का खसरा संख्या 7569 रकवा 0.039 है0 निजी नाप भूमि में होना अवगत कराया गया है।

भूगर्भीय दृष्टिकोण से लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के अन्तर्गत वर्गीकृत क्षेत्र में पड़ता है। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग की *1:50,000* पैमाने की टोपोशीट संख्या *53J/6* में पड़ता है। भूखण्ड के अन्तर्गत मृदा का मोटा आवरण तथा उसके साथ मुख्यतया फिलिटिक एवं कतिपय क्वार्टजिटिक चट्टानों के फैगमेन्ट्स मिश्रित अवस्था में विद्यमान है। इस भूभाग के अपहिल तथा ड़ाऊनहिल में ढलान का परिमाप क्रमशः 10^0–15^0 एवं 15^0–20^0 दक्षिणवत् दिशा की ओर है। ढलानयुक्त भूभाग को पूर्व में सोपान के रुप में विकसित किया गया है। इस स्थल पर यथावत चटटानें सतह पर दृष्टिगोचरित नही होती हैं।

सुझाव एवं शर्तेः–

प्रीफैब्रीकेट भवन के स्थायीत्व हेतु पृष्ठ भाग के सोपान से प्रीफैब्रीकेटेड भवन का निर्माण यथोचित दूरी छोड़ते हुए निर्माण किया जाना होगा। अपहिल से प्रवाहित होने वाले सतही/अन्तर्सतही जल को सुव्यवस्थित रूप से नियंत्रित किये जाने की व्यवस्था नितान्त आवश्यक होगी। प्रश्नगत भूभाग में वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है, अतः सतह पर लगभग 1.5 फीट गहराई में निरन्तर कृषि कार्य में उपयोग के कारण सतह पर सघनता *(compactness)* में कमी अवलोकित होती है। अतः नींव की गहराई के आकलन में इस तथ्य को सम्मिलित कर तदनुसार यथोचित गहराई तक प्रीफैब्रीकेट आवासीय भवन की नींव को स्थायीत्व–स्थिरता स्थापित रखने एवं अवतलन *(subsidence)* को प्रतिबन्धित करने हेतु रखा जाना नितान्त आवश्यक होगा। विकसित सोपानों को अग्र एवं पृष्ठ भाग में स्थायीत्व प्रदान करने में हेतु *Inclined, Stepped* धारक दीवारों *(Retaining Walls)* का निर्माण, यथोचित गहराई में नींव रखकर, आवश्यकतानुसार रंध्र छिद्रों *(weep holes)* सहित भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ से पहले किया जाना नितान्त आवश्यक होगा, अन्यथा की दशा में इस स्थल की छेद्यता *(Vulnerability)* में वृद्धि होगी।

निष्कर्षः–

प्रथम दृष्टया, इस भूखण्ड पर उपरोक्त सुझावों एवं शर्तों के अनुपालन के तहत प्री फैब्रीकेटेड प्रकृति के आवासीय भवन का निर्माण किये जाने हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा जाता है।

दिनांकः 5 दिसम्बर, 2013
स्थानः कैम्प लदाड़ी, उत्तरकाशी

(दीपेन्द्र सिंह चन्द)
सहायक भूवैज्ञानिक
Mob: 8192802331
Email id: ogddn-dgm-uk@nic.in